साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 52 | गोंदिया : गुरुवार, 4 से 10 अगस्त 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की शासकीय इमारत ४ वर्षों में ही खस्ताबदहाल

इमारत में जगह-जगह पड़ी दरारें, वर्तमान में ९५ फ्लैट्स में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का निवास

बुलंद गोंदिया - स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों जिसमें डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के निवास हेतू शासकीय ईमारत का निर्माण शासकीय महिला चिकित्सालय के समीप गत 4 वर्षों पूर्व किया गया था। जिसके 95 फ्लैटों (क्वार्टरों) में वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी निवास कर रहे हैं। किंतु 4 वर्ष पूर्व बनी इमारत जर्जर व बदहाली की अवस्था में पहुंच चुकी है। निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने से तथा पानी की पाईप लाईन का उचित नियोजन नहीं होने से इमारत में जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है। साथ ही इमारत में लगाए गए खिड़की व दरवाजे घटिया किस्म के होने से आए दिन खराब होने की समस्या निर्माण हो रही है।

गौरतलब है कि गोंदिया जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के निवास के लिए गोंदिया के शासकीय महिला चिकित्सालय के समीप भव्य शासकीय निवास इमारत का निर्माण 4 वर्षों पूर्व किया गया था। किंतु 4 वर्ष में ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी इमारत घटिया निर्माण के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के निवास के लिए निर्माण की गई इमारत में फिलहाल गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन व कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ-साथ शासकीय मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का निवास बनाया गया है। जिसमें गत 4 वर्षों से 95 फ्लैट्स में विद्यार्थी व अधिकारी निवास कर रहे हैं। जिसमें क्लास 3 के 60, क्लास 2 के 20, क्लास 1 के 15 फ्लैटों का समावेश है।

इमारत में सब और टपकता पानी

करोड़ों रुपए की लागत से आधुनिक इमारत का निर्माण किया गया था। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा इस आधुनिक इमारत के निर्माण में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। किंतु निर्माण कार्य घटिया होने के चलते 4 वर्षो के अंदर ही इस घटिया निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। इमारत में चारों ओर बारिश का पानी तो टपकता ही है साथ ही गलत तरीके से उचित नियोजन न कर इमारत के पाईप लाईन का कार्य किया गया है। जिससे जगह-जगह लीकेज होने से पानी रीस रहा है। जिससे इमारत की दीवार कमजोर होने की संभावना निर्माण हो गई है।

लिफ्ट में भरा पानी

इमारत में जाने के लिए लिफ्ट का निर्माण किया गया है। लेकिन निर्माण में खामियों के चलते लिफ्ट में बारिश का पानी भर जाने से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। गत कुछ दिनों से लिफ्ट भी बंद पड़ी हुई है। जिससे इमारत में रहने वाले मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने फ्लैट में आने-जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ रहा है। जिससे उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। यदि इस अवस्था में लिफ्ट शुरू की जाती है तो किसी भी प्रकार का गंभीर हादसा घटित हो सकता है।

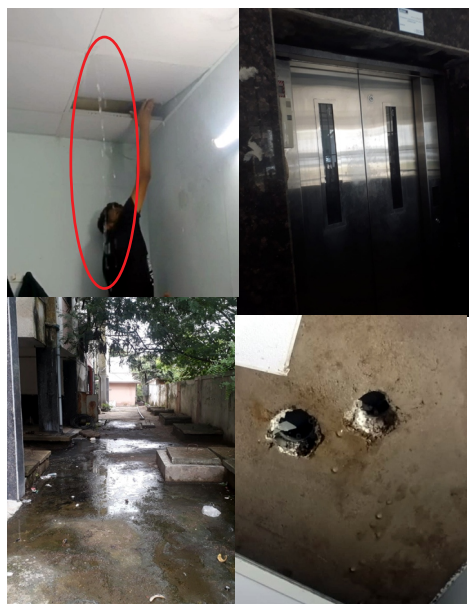

इमारत के चारों और उगी झाड़ियां

इमारत का निर्माण दोषपूर्ण होने के चलते चारों तरफ पानी का रिसाव हो रहा है। जिससे इमारत के चारों और व इमारत में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई है तथा काई जमा हो गई है। जिससे इमारत की सुंदरता नष्ट होने के साथ ही चंद दिनों में ही इमारत खस्ताहाल हो गई है।

कमरों में टपकता पानी उखड़ी सीलिंग

आधुनिक इमारत के कमरों में पानी का रिसाव होने से लगाई गई सीलिंग उखड़ गई है। जिससे यहां पर निवास करने वाले विद्यार्थियों में हमेशा डर बना रहता है कि कब उन उन पर सीलिंग गिर जाएंगी और वे जख्मी हो जाएंगे।

इलेक्ट्रिक फिटिंग भी घटिया स्तर की

इमारत में इलेक्ट्रिक फिटिंग भी घटिया स्तर की की गई है। यहां निवास करने वाले विद्यार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कक्षाओं में लगाए गए पंखे आए दिन गिरते हैं। जिसकी शिकायत किए जाने के पश्चात सुधार कार्य किया गया है। किंतु अभी भी पंखे गिरने का भय बना हुआ है।

इमारत के घटिया निर्माण कार्य की हो निष्पक्ष जांच

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के निवास के लिए शासकीय महिला चिकित्सालय के समीप निर्माण किए गए 95 फ्लैट के घटिया निर्माण कार्य की लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए तथा निर्माण कार्य में की गई लापरवाही व घटिया मटेरियल सामग्री के इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार व तत्कालीन अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। जिन्होंने शासन की करोड़ों रुपए की निधि से बनने वाली इमारत के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती है। जिससे यहां पर निवास करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ कभी भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है।

सार्वजनिक बांधकाम विभाग को अनेकों बार लिखा पत्र

स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माण की गई इमारत में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का निवास बनाया गया है तथा इमारत की अनेक खामियों व समस्याओं के संदर्भ में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अनेकों बार पत्र लिखकर तथा मौखिक भी सूचित किया गया है। किंतु इस ओर बांधकाम विभाग के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। इमारत का मेंटेनेंस व रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

- के.एस. घोरपड़े
डीन, शासकीय मेडिकल कॉलेज गोंदिया

काचेवाणी ग्राम पंचायत का अजब कारनामा
बारिश में नाली निर्माण के लिए खुदाई

भूपेंद्र रंगारी, काचेवाणी - तिरोडा तहसील के अंतर्गत आनेवाली काचेवाणी ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का अजीब कारनामा सामने आया है। जिनके द्वारा बारिश के मौसम में नाली के निर्माण कार्य के लिए खुदाई की गई है। जिससे परिसर के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि तिरोड़ा तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम काचेवाणी ग्राम पंचायत के तहत तिरोड़ा-गोंदिया मार्ग पर पेट्रोल पंप के बाजू में नाली खुदाई का काम बारिश के मौसम में शुरु किया गया। जिसके लिए जेसीबी के माध्यम से 1 मीटर

गहरी और 1 मीटर चौड़ाई की खुदाई की गई। जिससे परिसर के नागरिकों का आवागमन बंद हो गया तथा उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में गत 5 वर्षों से नागरिकों द्वारा मांग की गई थी, किंतु काचेवाणी के सरपंच व अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस मांग की ओर हमेशा अनदेखी की गई। अब जल्द ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर उपरोक्त कार्य किया गया है। किंतु भारी बारिश में शुरु किए गए इस कार्य के चलते नागरिकों की सुविधा के स्थान पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि उपरोक्त कार्य जल्द से जल्द किया जाए, जिससे उन्हें होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके।

आजादी का अमृत महोत्सव शहीदों के बलिदान की याद में हर घर तिरंगा अभियान
शत-प्रतिशत घरों में फहराये झंडा - विधायक अग्रवाल

शहीदों के नाम किया 2 माह का वेतन

बुलंद गोंदिया - देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर संपूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की जन जागरुकता व हाल ही में जिले में बाढ़ की परिस्थिति सामने आने पर इसे लेकर गोंदिया पंचायत समिति में विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा एक समीक्षा सभा आयोजित की थी। इस सभा में उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर शहीदों के बलिदान को याद कर सभी शत-प्रतिशत घरों में तिरंगा झंडा फहराए। इस अभियान के लिए उन्होंने अपने 2 माह का वेतन शहीदों के नाम किया। जिले के शहीद स्मारकों का रंगरोगन करने के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए, ऐसा इस सभा में कहा। इस अवसर पर निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा सभी शालाओं में व 13, 14, 15 अगस्त को हर घर में झंडा वंदन किया जाए। साथ ही जहां पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, वहां पर देशभक्ति गीत, भाषण में विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया।

भारी वर्षा से हुए नुकसान की करे जांच

पंचायत समिति के सभागृह में आयोजित सभा में विनोद अग्रवाल ने निर्देश दिया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों का हुए नुकसान की तत्काल जांच करें। साथ ही मकान क्षतिग्रस्त हुये उनके नुकसान का पंचनामा राजस्व विभाग के दल द्वारा गांव-गांव जाकर करें। जनप्रतिनिधियों से मिलकर किसानों की समस्याओं की जानकारी लेकर उसका निराकरण करें, ऐसा सुझाव भी दिया। इस अवसर पर तहसीलदार खंडारे ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 हेक्टर फसल के पंचनामें हुए हैं। जिनमें 381 किसानों के नुकसान का मामला सामने आया है। आयोजित सभा में तहसीलदार गोंदिया, तहसील कृषि अधिकारी, खंडविकास अधिकारी पंचायत समिति उपस्थित थे।

गणेश मौजे रिश्वत प्रकरण : जांच समिति गठित

बुलंद गोंदिया - गोंदिया नगर परिषद कर विभाग के सेवानिवृत कर्मचारी गणेश मौजे रिश्वत मामले में उपविभागीय अधिकारी गोंदिया के निर्देश पर मुख्याधिकारी नगर परिषद गोंदिया द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि गोंदिया नगर परिषद में कुछ माह पूर्व कर विभाग में कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारी गणेश मौजे द्वारा संपत्तिधारक व्यापारी को फर्जी टैक्स की रसीद देकर रिश्वत की मांग करने पर नगर परिषद से उसके कार्य से तत्काल पद से हटा दिया गया था, किंतु फौजदारी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता महेश वाधवानी द्वारा मामले में फौजदारी मामला दर्ज हो तथा दोषी पर कार्रवाई हो इसलिए निरंतर मामले को उठाया जा रहा था। उपरोक्त मामला तहसील लोकशाही दिवस के अवसर पर उपविभागीय अधिकारी के समक्ष रख गणेश मौजे प्रकरण में जांच समिति के गठन की मांग की थी। जिस पर उपविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश में जांच समिति का गठन कर 15 दिन में अवहाल पेश करने को कहा। उपविभागीय अधिकारी के निर्देश पर मुख्याधिकारी नगर परिषद गोंदिया द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। अब यह देखना है कि जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर फौजदारी मामला कब दर्ज किया जाता है?

नकली बीड़ी का गढ़ बना गोंदिया जिला

मनोहर फोटो, २७ नं. व मंकीबॉय बीड़ी के नकली कारखाने पर छापा, एक हिरासत में और भी लोग हो सकते है शामिल

बुलंद गोंदिया - गोंदिया-भंडारा जिला बीड़ी उद्योग का गढ़ है। जिसमें अनेक नामी कंपनियों के ब्रांड का उत्पादन होता है। मुख्य रुप से सी.जे. पटेल टोबैको कंपनी की मनोहरभाई पटेल फोटो छाप मनोहर बीड़ी, 27 नंबर स्पेशल बीड़ी, मंकीबॉय बीड़ी का समावेश है। किंतु कुछ लोग द्वारा इन बड़े ब्रांडों के नाम पर नकली बीड़ी का निर्माण कर इन ब्रांडों का नाम खराब कर रहे है। साथ ही शासन को राजस्व का चुना लगा रहे हैं। इसी प्रकार का एक मामला आमगांव थाना अंतर्गत सामने आया। जिसमें नकली बीड़ी का निर्माण करने वाले एक कारखाने पर छापामार कार्यवाही कर नकली बीड़ी व निर्माण में लगने वाली सामग्री सहित एक आरोपी को हिरासत में लिया गया।

इस संदर्भ में सी.जे. पटेल टोबैको कंपनी के व्यवस्थापक मुकेश सोमाभाई पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नकली बीड़ी का निर्माण के मामले में और भी लोग सामने आ सकते हैं। इस संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में व्यवस्थापक मुकेश पटेल ने बताया कि वे छोटाभाई जेठाभाई पटेल टोबैको प्रोडक्ट्स कंपनी के व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी ओर गोंदिया, भंडारा, नागपुर व छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के कुछ जिलों की जवाबदारी है। गत कुछ माह से बाजार में कुछ लोग छोटाभाई जेठाभाई पटेल टोबेको प्रोडक्ट कंपनी के ब्रांड मनोहर फोटो छाप बीड़ी, 27 नं. स्पेशल बीड़ी व मंकीबॉय बीड़ी के नकली लेबल लगाकर कम कीमतों में बीड़ी बेच रहे हैं। जिससे कंपनी को नुकसान होने के साथ ही शासन के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उनके व पुर्वेश पटेल की टीम द्वारा जांच शुरु की गई। जांच में सामने आया कि आमगांव तहसील के कुम्भारटोली निवासी सुनील बोरकर नामक व्यक्ति सी.जे. पटेल कंपनी का लेबल लगाकर नकली बीड़ी का व्यवसाय कर रहा है।

इस संदर्भ में टीम द्वारा आमगांव पुलिस को सूचना दी गई जिसमें पंचों के समक्ष कुंभारटोली के बिरसी ग्राम में स्थित मकान मालिक मनीराम आसाराम राहंगडाले के निवास पर छापामार कार्रवाई की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि उनका घर किराए पर सुनील बोरकर को दिया गया है। जिसके द्वारा बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है। पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई किए जाने पर कारखाने में सुनील बोरकर दिखाई दिया। तलाशी लिए जाने पर 2 कमरों में रखे मनोहर फोटो बीड़ी, 27 नं. स्पेशल बीड़ी के 6 बंडल अंदाज़ कीमत 12000 व 43 नंबर बीड़ी कीमत 6000, मदर इंडिया बीडी प्लास्टिक के पैकेट पुड़े पर लगाने वाला होलोग्राम निर्माण करनेवाला सांचा, इस प्रकार 21600 का माल जप्त किया गया। उपरोक्त मामले में फरियादी की शिकायत के आधार पर रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ धोखाधड़ी करने व नकली बीड़ी के पैकेट बनाने पर भादवि की धारा 420, 465, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, सुधारित अधिनियम 1984 व 1994 की धारा 51, 53, 63, 64 के तहत कार्रवाई की गई। आगे की जांच आमगांव थाने के उप निरीक्षक प्रतिभा पाथोड़े कर रही है।

गोंदिया का सर्वांगीण विकास
यही हमारा संकल्प - पूर्व विधायक जैन

बुलंद गोंदिया - राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी द्वारा गोंदिया शहर प्रभाग क्र.12 रामनगर मे दीपक कनोजे इनके निवास स्थान पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन की उपस्थिती में सभा संपन्न हुई। सभा में पक्ष संगठन पर चर्चा व आगामी गोंदिया नगर परिषद चुनाव संबधि पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्ताओ एवं परिसर के नागरिकों से चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने मार्गदर्शन में कहा कि, सांसद प्रफुल पटेल के नेतृत्व में गोंदिया का सर्वांगीण विकास व स्वच्छ व सुंदर बनाना यही हमारा संकल्प है।

संपादकीय

मंकीपाक्स का खतरा

मंकीपाक्स को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर आपात चेतावनी जारी कर दी है।

भारत में मंकीपाक्स संक्रमण के अभी भले ही चार मामले मिले हों, लेकिन इसे लेकर एक चिंता और डर पैदा होना लाजिमी है। तीन मामले केरल और एक दिल्ली में मिला है। उत्तर प्रदेश के औरैया में भी एक महिला में इसके लक्षण पाए जाने की खबरें हैं। इसका मतलब है कि अब इसके मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में जरा-सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। केरल में जिन लोगों को यह संक्रमण हुआ, वे विदेश से लौटे थे।

इसलिए माना गया कि यह संक्रमण बाहर से आया। लेकिन चिंता तब ज्यादा बढ़ गई जब पता चला कि दिल्ली में जिस व्यक्ति को यह हुआ, वह तो विदेश नहीं गया था, बल्कि जून के आखिरी हफ्ते में हिमाचल प्रदेश घूम कर लौटा था। वहां पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अगर ऐसे और मामले आते हैं तो निश्चित रुप से यह खतरे की बात होगी। केरल के बाहर मंकीपाक्स के मामले मिल रहे हैं तो इसके स्रोत का पता लगाना होगा और यह गहन जांच के बाद ही चल सकेगा। इसके लिए मरीजों की पहचान, जांच, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान और फिर इलाज की रणनीति ही इससे बचाव का कारगर उपाय साबित होगी।

मंकीपाक्स को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर आपात चेतावनी जारी कर दी है। आपात चेतावनी जारी करने के पीछे बड़ा कारण यह है कि यह संक्रमण के अब तक पचहत्तर देशों में सोलह हजार से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। पिछले एक दशक में स्वाइन यलू, जीका और इबोला विषाणु संक्रमण फैलने पर भी ऐसी चेतावनियां जारी हुई थीं।

मंकीपाक्स को लेकर जारी आपात स्थिति का आशय यही है कि अब सतर्कता बरतनी होगी और गंभीर खतरे की सूरत में हालात से निपटने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन चिंता की बात अभी ज्यादा इसलिए है कि दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संक्रमण से अभी पूरी तौर पर उबरे भी नहीं हैं। भारत में अभी भी बीस हजार मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में यदि मंकीपाक्स के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड़ते में देर नहीं लगेगी।

कोरोना महामारी ने काफी कुछ सिखाया है। इस महामारी से पहले हाल के दशकों में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली थी जब संक्रमण से बचाव के लिए पूर्णबंदी सहित सख्त प्रतिबंधों का सहारा लिया गया हो। साथ ही, संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के तंत्र को भी मजबूत बनाने की को कोशिशें हुईं। देखा जाए तो मंकीपाक्स कोरोना संक्रमण से काफी अलग और पहले से ज्ञात बीमारी है। इसका टीका भी मौजूद है।

इसका विषाणु कोरोना विषाणु जैसा घातक भी नहीं है। फिर इसका फैलाव भी उतना तेज नहीं है जितना कोरोना विषाणु का है। मंकीपाक्स से संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के बेहद करीब से संपर्क में आने पर ही यह फैलता है। इसलिए बचाव के उपाय ही इससे रक्षा कर पाएंगे। लेकिन अभी जांच का विषय यह है कि बिना विदेश गए लोगों में यह संक्रमण कैसे फैला? वैसे भी पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि दुनिया के कई हिस्सों में नए-नए तरह संक्रमण फैले और इनके विषाणुओं के बदलते रुपों ने चिकित्सा विज्ञानियों के सामने चुनौती पेश की है। कोरोना विषाणु के तेजी से बदलते रुपों को दुनिया कैसे भूल सकती है, जिसने दो साल में ही करोड़ों लोगों की जान ले ली। इसलिए मंकीपाक्स से सावधान रहना है और बचाव के उपाय अपनाने में ढिलाई नहीं बरतनी है।

माँ का दूध बच्चे के लिए अमृततुल्य

पहले चिक के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद - डॉ नितिन वानखेड़े

बुलंद गोंदिया - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1990 से 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रुप में मनाना शुरु किया। बच्चे के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है, जो माँ महीनों तक गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देती है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाल ही में कई माताएं अपने फिगर को मेंटेन करने की चाहत में अपने नवजात शिशु को गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाती हैं, जिससे बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि गाय या भैंस का दूध खराब होता है, बल्कि इन पालतू जानवरों का दूध बढ़ती उम्र में छोटे बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। लेकिन नवजात शिशु को शुरु से ही स्तनपान कराना शिशु के लिए एक प्राकृतिक वरदान है, न कि शिशु के लिए जानलेवा। नवजात शिशु को स्तनपान कराना जरुरी है। बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध बहुत जरुरी और उपयोगी होता है। दुनिया में किसी भी पदार्थ में वह शक्ति नहीं है जो माँ के दूध में है। हम विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष दिन मनाते हैं। उनमें से सभी मज़ेदार नहीं हैं, लेकिन कई जागरुकता बढ़ाने वाले हैं। उनमें से एक है ब्रेस्टफीडिंग डे। माँ के दूध में नवजात शिशु के विकास के लिए जरुरी सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध में बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी घटक होते हैं। इसलिए माँ का दूध ही बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। यह बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके माँ और बच्चे की त्वचा को एक दूसरे को छूना चाहिए। और एक घंटे के अंदर स्तनपान शुरु कर देना चाहिए। पहले घंटे से ही उसे माँ का दूध पिलाना जरुरी है। उस चिक के दूध में ही इम्युनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी घटक होते हैं। छह महीने से कम उम्र के बच्चे को विशेष रुप से स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए और स्वस्थ विकास के लिए कम से कम दो साल तक माँ के दूध के साथ पूरक आहार लेना चाहिए। गांवों में माताएं अज्ञानता के कारण इसका पालन नहीं करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों को अपना फिगर बनाए रखने के लिए स्तनपान से वंचित कर देती हैं। जो छोटे बच्चों में कुपोषण का कारण बनता है और कुपोषित बच्चे अंततः मर जाते हैं। शहर में कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को समय पर स्तनपान नहीं कराती हैं, आठ से नौ घंटे बेबीसिटर्स या चाइल्ड कैअर संस्थानों को सौंपती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को ठीक से पोषण मिलेगा। स्तनपान कराने से माँ के प्राकृतिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। माँ और बच्चा दोनों मजबूत और स्वस्थ रहते हैं, ऐसी है माँ के दूध की ताकत। बच्चे के जन्म के बाद माँ द्वारा दिया गया दूध उसके बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। माँ के स्तन से पहले दूध से प्राप्त पोषक तत्व माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती।

<u>मां को दूध पिलाने के फायदे</u> -

1) यह एक सच्चाई है कि आज के तेजी से भागते युग में हर माँ अपने नवजात शिशु को पर्याप्त रुप से स्तनपान नहीं करा सकती है। लेकिन, स्तनपान कराने वाली माताओं में स्तन कैंसर होने की संभावना कम होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान स्तन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। इन कोशिकाओं में परिवर्तन से स्तन कैंसर की संभावना कम हो जाती है।

2) स्तनपान कराने वाली माताओं को बोतल से दूध पिलाने वाली माताओं की तुलना में वजन कम करना और गर्भावस्था से पहले के अपने शरीर के आकार को कम समय में वापस पाना आसान होता है। गर्भवती माताओं का शरीर गर्भावस्था के दौरान अधिक वसा जमा करता है। क्योंकि दूध उत्पादन की अवधि के दौरान शरीर को अधिक कैलोरी स्टोर करने की आवश्यकता होती है। इस समय स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में ज्यादा मदद मिलती है। इसके विपरीत बोतल से दूध पिलाने वाली माताओं के संबंध में यह अनुपात कम है।

3) <u>माँ-बच्चे के रिश्ते को मजबूत करने में मदद</u> -

स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे के बीच की दूरी सबसे कम होती है। बच्चा माँ के इतना करीब होता है कि वह आसानी से अपनी माँ के दिल की धड़कन का पता लगा सकता है। यह प्रक्रिया बच्चे में शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। स्तनपान के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन भी माँ और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक प्यार बढ़ाने वाला हार्मोन है जो स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों के बीच उच्च स्तर के भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है।

4) <u>शिशुओं के लिए स्तनपान के लाभ</u> -

माँ का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा पेय है। यह दूध बच्चे के विकास के लिए आवश्यक विटामिन, प्रोटीन और वसा का सही संयोजन है। इसमें कई निवारक पदार्थ होते हैं। जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बाहरी संक्रमणों से होने वाली एलर्जी जैसी बीमारियों का प्रतिरोध करना संभव होता है और साथ ही इस दूध से अस्थमा और अस्थमा की संभावना भी बहुत कम होती है। ब्रेस्टफीडिंग से बच्चों का दिमागी विकास जल्दी होने से उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। शिशु के विकास में स्तनपान सबसे अच्छी कड़ी है।

<u>कोविड मामले में माताओं द्वारा बरती जानेवाली देखभाल</u> -

बच्चे को स्तनपान कराते समय माँ को मास्क पहनना चाहिए। यदि माँ को खांसी हो तो स्तनपान कराने से पहले स्तन को साबुन से धोना चाहिए। प्रत्येक भोजन से पहले माँ को स्तन धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को छूने से पहले माँ को धोना चाहिए उसके हाथ साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकंड के लिए। या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र कम से कम 20 सेकंड के लिए स्वच्छ करे।

अतिवृष्टि व बाढ़ में मृत के परिजनों को आर्थिक सहायता चेक वितरित

बुलंद गोंदिया - उपविभाग गोंदिया द्वारा राजस्व दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में सरकार की सैकड़ों योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने वाले महसुल विभाग के समस्त अधिकारीयों व कर्मचारियों को बधाई देकर उनका सत्कार कर प्रोत्साहित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करनेवाले कर्मचारीयो को सन्मानपत्र देकर सन्मानित किया गया। विधायक अग्रवाल द्वारा लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया गया। साथ ही इस अवसर पर गत दिनों अतिवृष्टि व बाढ़ में डूबने से 4 व्यक्तियो की मृत्यु हो जाने पर शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चेक उनके परिजनों को सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रमुख रुप से विधायक विनोद अग्रवाल, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार खंडारे, अपर तहसीलदार खडतकर, नायब तहसीलदार पालान्दुरकर, सीमा पाटने, नायब तहसीलदार सरोदे मैडम, मंडल अधिकारी, पटवारी एंव राजस्व विभाग अधिकारी, सुजीत येवले, लखन हरिनखेड़े इत्यादी कर्मचारी, अधिकारी तथा कार्यकर्ता एंव पदाधिकारी उपस्थित थे।

कसौटी पर मुफ्त

पिछले कुछ सालों से देश भर में होने वाले चुनावों के दौरान मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह के लुभावने वादे किए जाने लगे हैं, उसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। मुख्य शिकायत यह सामने आई है कि चुनाव के दौरान पार्टियां जिस तरह जनता के सामने कुछ चीजें मुफ्त उपलब्ध कराने का वादा करती हैं, उसका असर निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया पर पड़ता है और इस तरह आखिरी तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र बाधित होता है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त में चीजें बांटने या ऐसा करने का वादा करने को वह कोई गंभीर मुद्दा मानती है या नहीं! अदालत ने केंद्र को वित्त आयोग से यह भी पता लगाने को कहा कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं पर अमल रोका जा सकता है या नहीं।

दरअसल, चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले वादे की शक्ल अब बीते कुछ समय से कोई चीज या सुविधा मुफ्त मुहैया कराने के रुप में सामने आने लगी है। अगर एक पार्टी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप देने का वादा करती है तो दूसरी बिजली और स्कूटी या गैस सिलेंडर। हालत यह हो गई है कि इस मामले में लगभग सभी पार्टियों के बीच एक होड़ जैसी लग गई है कि मुफ्त के वादे पर कैसे मतदाताओं से अपने पक्ष में लुभा कर मतदान कराया जा सके।

कई बार सरकार बनने के बाद ऐसे वादे पूरा होने की राह देखते हैं, तो कई बार इन पर अमल भी किया जाता है। सवाल है कि अगर कोई पार्टी केंद्र या किसी राज्य में सरकार बनने के बाद आम जनता को मुफ्त सुविधा या सामान मुहैया कराती है, तो उसका आधार क्या होता है? लगभग हर छोटी-मोटी सुविधाओं या आर्थिक व्यवहार को कर के दायरे में लाने और उसे सख्ती से वसूलने वाली सरकारें इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज कैसे मुफ्त देने लगती हैं? इसका एक अन्य पहलू यह है कि कुछ सुविधाएं या सेवाएं मुफ्त किए जाने से इतर सरकार क्या जनता से अन्य मदों में कर नहीं वसूलती है? फिर विशेष या आपात स्थिति में अगर जीवन-निर्वाह के लिए लोगों को कोई सामान निशुल्क दिया जाता है तो क्या वह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है?

यह जगजाहिर है कि कई बार विकास से संबंधित किसी काम के समय पर पूरा नहीं होने को लेकर सरकारें कोष में धन की कमी और कर्ज के बोझ का रोना रोती हैं। लेकिन वहीं वे मुफ्त में लोगों को कोई सामान बांटने से लेकर बिजली या पानी जैसी योजनाएं चला कर जनपक्षीय होने का दावा करती हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से वादे किए जाने पर पूरी तरह रोक लगाना इसलिए भी मुश्किल है कि लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें जनता के सामने खुद को बेहतर पक्ष के रुप में पेश करना होता है।

लेकिन सरकार के कोष की स्थिति एक वास्तविक समस्या है। ऐसे में ये सुझाव दिए जाते हैं कि वित्त आयोग आबंटन के समय किसी राज्य सरकार का कर्ज और मुफ्त में सामान मुहैया कराने की कीमत को देख कर अपना निर्णय ले सकता है। जाहिर है, चुनावों में जीत के लिए कोई चीज या सेवा मुफ्त मुहैया कराए जाने का सवाल कठघरे में है और इस पर कोई स्पष्ट रुख सामने आना जरुरी है।

मुद्दा महंगाई का

मुद्दा महंगाई का

महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। महंगाई को लेकर दो दिन से संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही ठप रही। विपक्ष सरकार से महंगाई पर चर्चा करवाने की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने यह मांग कोई अचानक उठा दी। पहले से ही लग रहा था कि संसद सत्र शुरु होते ही जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई होगा। महंगाई की वजह से आम लोगों को जिस तरह के संकटों से दो-चार होना पड़ रहा है, वह कोई मामूली बात नहीं है।

इसीलिए विपक्षी दलों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए तुरंत चर्चा की मांग की। लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। यह विपक्ष का यह दायित्व भी है कि वह जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाए। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि सरकार आखिर महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करवाने से बच क्यों रही है? इसीलिए मंगलवार को विपक्षी दलों को संसद परिसर में धरना देने को मजबूर होना पड़ा।

महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े नित नए रेकार्ड बना रहे हैं। खाने-पीने की हर चीज महंगी होती जा रही है। रिजर्व बैंक ने भी माना है कि महंगाई को लेकर स्थिति गंभीर है। उसने यह भी कहा है कि यह पूरा साल इसी तरह गुजरने वाला है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि इधर दो महीने में महंगाई दर में कमी आई है। लेकिन उसके इन दावों और हकीकत में जो फर्क है, वह किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पर नया बोझ अब जीएसटी से पड़ गया है। दूध, पनीर, छाछ, लस्सी, आटा, मुरमुरे, सोयाबीन, मटर, चावल, दालें जैसी जरुरी खाने की चीजें तक पांच फीसद जीएसटी के दायरे में आ गई हैं।

इससे सिर्फ खानपान की मद में ही एक औसत परिवार का मासिक खर्च डेढ़ से दो हजार रुपए बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टेशनरी सामान पर अठारह फीसद जीएसटी लगा दिया गया है। सौर हीटर और एलईडी बल्ब वगैरह बारह फीसद जीएसटी के साथ मिलेंगे। ये सब वे सामान हैं जिनकी सबसे ज्यादा खपत मध्य और निम्न आय वर्ग वालों के बीच होती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महंगाई किस कदर लोगों पर और बोझ डालेगी।

महंगाई को लेकर हालत इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि बेरोजगारी भी चरम पर बनी हुई है। भले ही दावा किया जाता हो कि हम कोरोना से उपजे हालात से निजात पा चुके हैं और अब सब कुछ पटरी पर है, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े हकीकत बनाने के लिए काफी हैं। बड़े उद्योगों ने भले अपने को बचा लिया हो, लेकिन छोटे उद्योग अभी भी मुश्किल में हैं। कच्चे माल से लेकर दूसरे संकट अभी बने हुए हैं।

इससे सीधे तौर पर वस्तुओं की लागत बढ़ रही है। इधर, महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों ने महंगाई की आग में घी का काम किया। रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम भी गरीबों की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष महंगाई पर चर्चा करवाना चाह रहा है तो गलत क्या है? बल्कि यह तो सरकार का कर्तव्य माना जाना चाहिए कि वह महंगाई जैसे मसले पर चर्चा करवाए और विपक्ष के

मनी लॉन्ड्रिंग हो बंद

जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक आरोपी बेकसूर है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसों में इस थ्योरी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराधी साबित होने से पहले तक बेकसूर माना जाना बेशक हर आरोपी का मानवाधिकार है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए कुछ खास मामलों में इसे निरस्त किया जा सकता है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के सख्त प्रावधानों और इनके तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में मिले अधिकारों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूरगामी प्रभाव वाला है। इस मामले पर सबकी नजरें सिर्फ इस वजह से नहीं थीं कि इससे बहुत सारे हाई-प्रोफाइल केस जुड़े हुए हैं। हालांकि यह तथ्य भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन 242 याचिकाओं के समूह पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिनमें पीएमएलए के अलग-अलग प्रावधानों के औचित्य पर सवाल उठाया गया था। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों से जुड़ी अहम मान्यताएं दांव पर थीं। उदाहरण के लिए, इस कानून के तहत लगाए गए आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी जांच एजेंसी की नहीं होती। आरोपी को ही यह साबित करना होता है कि वह बेकसूर है। दूसरे शब्दों में, जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक आरोपी को बेकसूर मानने वाली थियरी यहां बिल्कुल पलट जाती है। सवाल था कि क्या यह उचित माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराधी साबित होने से पहले तक बेकसूर माना जाना बेशक हर आरोपी का मानवाधिकार है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून के जरिए कुछ खास मामलों में इसे निरस्त किया जा सकता है।

ऐसे ही एक और सवाल था कि जैसे पुलिस के लिए एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, वैसे ही क्या ईडी के लिए भी यह जरुरी नहीं होना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले वह संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर (एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) की कॉपी उपलब्ध कराए। कोर्ट ने इस मामले में भी साफ किया कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है, जिसे आरोपी के साथ साझा करना उसके लिए जरुरी नहीं है। ईडी गिरफ्तारी के वक्त संबंधित व्यक्ति को उसका आधार बता देती है तो यह काफी है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कुर्की-जब्ती वगैरह से जुड़े ईडी के तमाम अधिकारों पर भी कैंची चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद और ड्रग्स कारोबार से जिस अभिन्न रुप में जुड़ा है, उसके मद्देनजर इन मामलों को हलके में नहीं लिया जा सकता। वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम राज्य या सरकार से तमाम गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने की उम्मीद तो करें, लेकिन संबंधित एजेंसियों को उसके लिए आवश्यक अधिकार देने को तैयार न हों। बहरहाल, ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाने के बाद यह और जरुरी हो गया है कि एजेंसी इन अधिकारों के इस्तेमाल में पहले से ज्यादा विवेकपूर्ण रवैया अपनाए ताकि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें खुद ही बेअसर हो जाएं।

सुरक्षित हो हवाई यात्रा

कुछ समय से अलग-अलग एयरलाइंस कंपनियों के विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं और इस वजह से हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस हफ्ते लोकसभा को बताया कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 की एक साल की अवधि में ऐसे 478 मामले दर्ज किए गए।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र की नियामक एजेंसी डीजीसीए ने एक बजट एयरलाइंस को अपनी उड़ानें 50 फीसदी तक सीमित रखने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस एयरलाइंस के विमानों में पाई गई तकनीकी गड़बडियों की घटनाओं और स्पॉट चेकिंग के दौरान पाई गई कमियों के मद्देनजर जारी की गई है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक आती विभिन्न एयरलाइंस के विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की खबरों से हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी सप्ताह नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 की एक साल की अवधि में ऐसे 478 मामले दर्ज किए गए। इन बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उड्डयन क्षेत्र की नियामक एजेंसी डीजीसीए ने पिछले दिनों स्पॉट चेक की प्रक्रिया शुरु की जिससे रखरखाव की समस्या की बात सामने आई। डीजीसीए के मुताबिक कई मामलों में ऐसा पाया गया कि विमान में जो गड़बड़ियां थीं उनके कारणों की सही पड़ताल नहीं हो पाई। साफ है कि एयरलाइंस में अच्छी तरह प्रशिक्षित, कुशल और अनुभवी स्टाफ की कमी है। डीजीसीए ने एयरलाइंस से सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करके 28 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा था। डीजीसीए के मुताबिक एयरलाइंस ने उन गड़बड़ियों को ठीक कर लिया है। लेकिन गौर करने की बात है कि डीजीसीए ने जिस दिन आदेश जारी किया था उसके अगले ही दिन तकनीकी गड़बड़ियों के दो और मामले सामने आ गए। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है क्योंकि यह स्थिति न तो दो दिन में बनी है और न रातोरात ठीक की जा सकती है।

आखिर भारत में 2010 से ही स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम है जिसके तहत एयर सेफ्टी से जुड़ी सारी गाइडलाइन अच्छी तरह परिभाषित हैं। डीजीसीए के सेफ्टी ऑडिट भी नियमित तौर पर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसलिए नियामक और एयरलाइंस के बीच संवाद भी बना ही रहता है। ऐसे में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों में इस कदर इजाफा समझ में नहीं आता है। निश्चित रुप से यह समस्या गंभीर है और इस पर लगातार काम करने की जरुरत है। बहरहाल, उड्डयन काफी संभावनाशील क्षेत्र माना जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 2027-28 तक पैसेंजर यलो 54 करोड़ से ऊपर चले जाने की उम्मीद है। यह कितनी बड़ी बढ़ोतरी है इसका अंदाजा हमें तब होता है जब यह देखते हैं कि महामारी से पहले पैसेंजर यलो 20 करोड़ था। सरकार भी अपने स्तर पर इस क्षेत्र को आगे बढ़ने में सहयोग दे रही है चाहे मामला कोविड के बाद सीटों की संख्या बढ़ाने की हो या डोमेस्टिक मेनटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से 5 फीसदी करने की। मगर ये संभावनाएं तभी फलित हो सकती हैं जब उड़ानों की सुरक्षा के मोर्चे पर लोग पूरी तरह आश्वस्त महसूस करेंगे। इसीलिए एयरलाइंस हो या डीजीसीए इस मुद्दे पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।

जिले के निवासी इन्यलुएंजा एच१-एन१ से रहें सावधान

किसी भी फ्लू जैसे शरीर के तापमान को नज़रअंदाज़ न करें - डॉ नितिन वानखेड़े

बुलंद गोंदिया - राज्य में इन्यलुएंजा एच-1 एन-1 मरीजों में बढ़त देखा जा रहा है। जनवरी 2022 से 20 जुलाई 2022 तक राज्य में इस बीमारी के 81 मामले और 4 मौतें हुई हैं। मुख्य रुप से मुंबई, ठाणे, पालघर, कोल्हापुर, नासिक और नागपुर क्षेत्रों में इस तरह की बीमारी विशेष रुप से पाई जाती है। यह देखते हुए कि इन्यलूएंजा एच1एन1 के मामले मुख्य रुप से बरसात के मौसम में पाए जाते हैं, हमारे जिले में इस साल भी बारिश बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन्यलुएंजा एच1एन1 की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय आम तौर पर कोविड की रोकथाम के उपायों के समान ही होते हैं। इसलिए फ्लू जैसे हर मरीज की कोविड के साथ-साथ इन्यलूएंजा की भी जांच होनी चाहिए। गोंदिया शहर के एक मरीज ने 27 जुलाई को निमोनिया जैसे लक्षण विकसित किए। दर्द की शिकायत के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे गोंदिया के निजी केएमजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सकारात्मक परीक्षण के बाद, उसे किंग्स-वे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। गोंदिया में उनके घर के सदस्यों और आसपास के 95 घरों में उनके गले की सूजन की जांच की गई है और वे स्पर्शोन्मुख हैं और सभी ठीक हैं।

इन्यलुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण -

निम्नलिखित लक्षण उस व्यक्ति में देखे जाते हैं जिसने हाल ही में एक श्वसन रोग विकसित किया है:

1) बुखार 2) गले में खराश, 3) खांसी

4) बहती नाक 5) शरीर में दर्द 6) सिरदर्द

बाल रोगियों में हल्का से मध्यम बुखार होता है। गले में खराश वाले बच्चे को अत्यधिक लार आती है। कुछ रोगियों को दस्त और उल्टी का अनुभव होता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अक्सर बुखार नहीं होता है।

गंभीर तीव्र श्वसन रोग के रोगियों के लक्षण -

5 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति में - 1) 380 से ऊपर बुखार का अचानक शुरु होना 2) खांसी/गले में खराश 3) सांस लेने में कठिनाई 4) अस्पताल में भर्ती आवश्यकता महसूस हो।

5 साल से कम उम्र के बच्चों में - 1) निमोनिया 2) अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता

रेफर किए गए मरीजों में जो स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए जाते हैं, उनके करीबी सहयोगियों का पता लगाना और उनका लक्षणात्मक इलाज करना जरुरी है।

करीबी साथियों का पता लगाना और उनका इलाज -

इन्यलूएंजा एच1एन1 की ऊष्मायन अवधि 1 से 7 दिन है। इन्यलुएंजा एच1एन1 के मरीज लक्षण विकसित होने के 1 दिन पहले से लेकर लक्षण विकसित होने के 7 दिन बाद तक अपने करीबी सहयोगियों में संक्रमण पहुंचा सकते हैं। इसलिए, इस अवधि के दौरान उन करीबी सहयोगियों का पता लगाना आवश्यक है जो इन्यलुएंजा एच1 एन1 से संक्रमित रोगियों के सीधे संपर्क में रहे हैं। एक करीबी सहयोगी वह व्यक्ति होता है जो संक्रामक अवधि के दौरान संक्रमित रोगी के 6 फीट के दायरे में आता है।

प्रयोगशाला परीक्षण -

संदिग्ध फ्लू के मामलों के नाक या गले के स्राव का एक स्वाब परीक्षण किया जाता है जैसा कि कोविड के मामले में होता है।

उच्च जोखिम वाले व्यक्ति इन्यलुएंजा एच1एन1 निम्नलिखित उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में गंभीर हो सकते हैं -

1) 5 साल से कम उम्र के बच्चे (विशेषकर 1 साल से कम उम्र के बच्चे)
2) 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक।
3) गर्भवती माताएँ।
4) उच्च रक्तचाप या अन्य हृदय रोग।
5) मधुमेह मोटापा।
6) फेफड़े, लीवर, किडनी की बीमारी वाले लोग।
7) तंत्रिका तंत्र के विकार वाले व्यक्ति।
8) प्रतिरक्षा से समझौता करने वाला व्यक्ति।
9) लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं लेने वाले व्यक्ति।

इन्यलूएंजा एच1एन1 से बचाव के लिए करें ये उपाय -

1) बार-बार साबुन और साफ पानी से हाथ धोएं।
2) पौष्टिक भोजन करें।
3) अपने आहार में नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें।
4) धूम्रपान से बचें।
5) पर्याप्त नींद लें और आराम करें।
6) खूब सारा पानी पीओ।

इन्यलूएंजा एच1एन1 से बचने के लिए न करें ये काम-

1) हाथ मिलाना
2) सार्वजनिक रुप से न थूकें।
3) डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें।
4) फ्लू जैसे लक्षण होने पर भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें।
5) नियमित मास्क का प्रयोग करें। साथ ही मास्क का गलत तरीके से निस्तारण करने से संक्रमण बढ़ने का भी डर है। इसलिए कम से कम आम जनता के लिए रुमाल का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है।

फ्लू रोगी की घरेलू देखभा ल-

फ्लू के ज्यादातर मरीज हल्के होते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह जानना जरुरी है कि ऐसे फ्लू के मरीजों की घर पर देखभाल कैसे की जाए।

1) अगर घर बड़ा है तो मरीज के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करनी चाहिए।
2) रोगी को अधिमानत: बैठक कक्ष में आने से बचना चाहिए, जहां परिवार के सभी सदस्य मौजूद हों।
3) रोगी द्वारा स्वयं नियमित मास्क का प्रयोग करें।
4) रोगी की सेवा अधिमानत: परिवार के एक सदस्य द्वारा की जानी चाहिए।
5) यदि रोगी को घर में कोई उच्च जोखिम वाली बीमारी है, तो उसे उनके साथ घनिष्ठता में नहीं जाना चाहिए। घर पर ब्लीच का घोल तैयार करें और इसका उपयोग रोगी की मेज, कुर्सी और अन्य स्पर्श सतहों को पोंछने के लिए करें।
6) रोगी द्वारा उपयोग किए जाने वाले टिश्यू पेपर या मास्क को फेंका नहीं जाना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़े या रुमाल को ब्लीच के घोल में आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखना चाहिए और फिर धो लेना चाहिए।
7) रोगी के बिस्तर को ढकने वाले तौलिये को संभालते समय हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।
8) रोगी को भरपूर आराम करना चाहिए। और तरल पदार्थ लें।
9) रोगी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
10) डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लेनी चाहिए।
11) गर्म पानी में नमक और हल्दी से दिन में कम से कम दो बार गरारे करें और गर्म पानी में मेन्थॉल मिलाकर नीलगिरी के तेल से भाप लें।
12) बुखार और फ्लू के अन्य लक्षण कम होने के बाद कम से कम 24 घंटे घर पर रहें।

अगर बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, खांसी खून खांसी, बुखार, चिड़चिड़ापन, खाने से इनकार और उल्टी जैसे लक्षण हों तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरुरी है।

अबॉर्शन का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अविवाहित लड़कियों को भी गर्भपात का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि किसी को सिर्फ इस आधार पर गर्भपात के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह शादीशुदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, वह इस बात का सबूत है कि आज भी समाज के अलग-अलग हिस्सों में विवाह पूर्व सेक्स संबंध बनाए जाने को लेकर कितने पूर्वाग्रह हैं। 24वें हफ्ते के गर्भ से गुजर रही इस लड़की के माता-पिता खेती से जुड़े हैं। उसका पार्टनर शादी करने से इनकार कर चुका है।

पांच भाई बहनों में एक, यह लड़की सिंगल मदर के रुप में बच्चे का पालन-पोषण करने में खुद को असमर्थ पा रही है। ऐसे में वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। बावजूद इसके हाईकोर्ट में उसकी याचिका इस आधार पर खारिज हो गई कि वह शादीशुदा नहीं है और एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) रुल्स 2003 के मुताबिक 20 हफ्ते से ज्यादा हो जाने के बाद जिन खास मामलों में गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। उनमें अविवाहित लड़कियों के केस शामिल नहीं हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक और प्रोग्रेसिव रुख अपनाते हुए कानून की उदार व्याख्या करने की जरुरत समझी।

शीर्ष अदालत ने ध्यान दिलाया कि इसी कानून के 2021 में संशोधित प्रावधानों में पति के बजाय पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि कानून निर्माता इसके प्रावधानों को शादीशुदा रिश्तों तक सीमित रखने के हक में नहीं थे। वैसे भी स्त्री-पुरुष संबंधों को लेकर समाज की सोच तेजी से बदल रही है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशन को मान्यता दे चुका है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि कानून की संकीर्ण व्याख्या करते हुए किसी महिला के निजी स्पेस में दखल दिया जाए।

हर महिला का उसके शरीर पर पूरा अधिकार होता है। गर्भ रखने या बच्चे को जन्म देने से संबंधित फैसले संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे मिले पर्सनल लिबर्टी के अधिकार का अभिन्न हिस्सा हैं। जाहिर है, किसी महिला को सिर्फ इसलिए गर्भ रखने या बच्चे को जन्म देने के लिए विवश करना कि वह शादीशुदा नहीं है, उसके साथ ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही आदेश दिया कि अगर विशेषज्ञों की समिति कह देती है कि अबॉर्शन से उस महिला के जीवन को खतरा नहीं है तो उसे इस विकल्प को चुनने से नहीं रोका जा सकता। उम्मीद करें कि शीर्ष अदालत का यह फैसला हमारी अदालतों को ऐसे तमाम मामलों में उदार और प्रगतिशील रुख अपनाने को प्रेरित करेगा।

नैनो यूरिया का फसलों में करे उपयोग

बुलुद गोंदिया - नैनो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन का स्रोत है। यह फसलों की उचित वृद्धि और विकास के लिए एक पोषक तत्व है। गोंदिया अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मंगेश वावधने ने अपील की है कि किसान रासायनिक खाद के साथ नैनो यूरिया का प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होगा।

वावधने ने कहा, दुनिया का पहला नैनो यूरिया गुजरात में इफको प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। भारत भर में विभिन्न स्थानों और विभिन्न फसलों पर किए गए परीक्षणों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि नैनो-यूरिया के उपयोग से पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। परंपरागत रुप से लागू उर्वरकों में नाइट्रोजन का केवल 30 से 35 प्रतिशत ही फसलों के लिए उपलब्ध होता है, शेष नाइट्रोजन हवा में वाष्पित हो जाता है और नाइट्रेट्स के रुप में भूमि, वायु और पानी को प्रदूषित करता है।

नैनो यूरिया का छिड़काव सुबह या शाम करना चाहिए। इसमें घुलनशील उर्वरकों और कृषि रसायनों को मिलाया जा सकता है। नैनो यूरिया उपज पर बिना किसी प्रभाव के यूरिया उर्वरकों के उपयोग को कम करता है। फसल उत्पादकता में वृद्धि और लागत बचत से किसानों की आय में वृद्धि होती है। भूमि, वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। दो से चार मिलीलीटर नैनो यूरिया को एक लीटर पानी में मिलाकर दो बार छिड़काव करने की अपील वावधने ने किसानों से की है।

२ वर्षों के पश्चात गणेश उत्सव दहीहांडी उत्सव उत्साह व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं

गणेश उत्सव मंडल को एक खिड़की से मिलेगी सभी प्रकार की मंजूरी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

गणेश मंडलों को पंजीयन शुल्क व शपथपत्र की शर्तों में छूट

बुलंद गोंदिया - सर्वजनिक गणेश उत्सव, मोहर्रम, दहीहांडी व आगामी त्यौहारों व समारोह की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था और विभिन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में समीक्षा सभा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सहयाद्री गेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि गणेश उत्सव, दहीहंडी व मोहर्रम तथा अन्य आगामी पर्वों में शांतिपूर्ण व उत्साह के तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी यंत्रणा समन्वय से काम करें। पुलिस विभाग द्वारा कानून व सुरक्षा व्यवस्था का प्रभावी तरीके से अमल करावे। साथ ही गणेश उत्सव मंडलों को मिलने वाली सभी मंजूरी ऑनलाइन एक खिड़की योजना के अंतर्गत देने के लिए राज्य के सभी जिलों में तत्काल कार्रवाई की जाए, ऐसा निर्देश भी दिया गया।

आगे मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि गत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण खतरा मंडरा रहा था, इसलिए हम अपने त्योहारों को उत्साह के साथ नहीं मना सके। इस वर्ष राज्य सरकार के माध्यम से गणेश उत्सव दहीहांडी उत्सव उत्साह व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिसके लिए शासन के माध्यम से गणेश उत्सव मंडल को सहयोग किया जाएगा। सभी मंडल पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव पर्व मनाए तथा सामाजिक जागरुकता व सामाजिक एकता को प्रदर्शित करें पुलिस व जिला प्रशासन को इस अवसर पर कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से नियोजन करने का निर्देश दिया।

गणेश उत्सव के पूर्व राज्य के सभी मार्गो के गड्ढे बुझाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। साथ ही कोकण में जाने के लिए भरपूर प्रमाण में एसटी बस उपलब्ध करने के नियोजन का भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। गणेश उत्सव मंडल द्वारा नए पंजीयन ऑनलाइन पद्धति से करने की सुविधा देने तथा पंजीयन शुल्क माफ करने तथा गणेश उत्सव के दौरान पुलिस विभाग द्वारा लिया जाने वाला घोषणापत्र ना लेने का भी निर्देश दिया गया। गणेश उत्सव प्रतिवर्ष सामाजिक भावना के साथ संपन्न किया जाता है। जिसमें नियमों का पालन होना चाहिए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा नियमों का पालन हो रहा है या कि नहीं इस संदर्भ में गणेश मंडलों का सहयोग करें तथा संपूर्ण राज्य में उत्सव के लिए एक नियम रहेगा। जिला प्रशासन इस पर्व के लिए समन्वय अधिकारी की नियुक्ति करें। पीओपी मूर्ति के संदर्भ में जल्द ही तकनीकी समिति की नियुक्ति पीओपी मूर्तियों के निर्णय के संदर्भ में एक तकनीकी समिति की नियुक्त की जाएगी, जिसमें एमपीसीबी, नीरी, आईआईटी, एनसीएल आदि संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि होंगे तथा यह समिति पर्यावरण पूरक मार्ग को निकालेंगे।

गणेश उत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं पर ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य कुछ मामले दर्ज किए गए हैं, वह हटाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए तथा गणेश उत्सव मंडल व कार्यकर्ताओं के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की नीति तय की जाए। साथ ही दहीहंडी उत्सव मनाते समय छोटे गोविंदा के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए व दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गणेश उत्सव एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्रशासन द्वारा इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाने में सहयोग करना चाहिए तथा आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जाए। पुलिस महानिरीक्षक रजनीश सेठ ने आगामी महोत्सव के संदर्भ में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी।

मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगरानी, प्रमुख सचिव संजय सक्सेना, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर, अतिरिक्त मुख्य महासचिव स्वास्थ्य प्रदीप व्यास, बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल चहल, एम.एम.आर.डी.ए. आयुक्त श्रीनिवास, प्रमुख सचिव पर्यावरण मनीषा म्हैस्कर, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति ज्योतिर्भास्कर जयंतराव सलगांवकर, एन. नरेश दहीभावकर, अखिल लोक उत्सव समिति के हितेश जाधव, मूर्तिकार एसोसिएशन के अन्ना टोंडवलकर और अन्य के साथ-साथ रिमोट व्यूइंग सिस्टम के माध्यम से।

इस अवसर पर जिले के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी और जिले के महत्वपूर्ण लोक गणेश मंडल के मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

मानव अधिकारों पर पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए किए गए उपाय

बुलंद गोंदिया - जिला विधि सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, गोंदिया के सहयोग से पर्यावरण प्रदूषण और मानव अधिकारों पर पर्यावरण-क्षरण के प्रभाव को रोकने या कम करने के उपाय पर एक बहुउद्देश्यीय कानूनी जागरुकता कार्यक्रम गोंदिया जिला अधिवक्ता संघ हॉल, जिला न्यायालय गोंदिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वी.पी. पाटकर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोंदिया एवं श्रीमती हेमा देशपांडे, उपक्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भंडारा की उपस्थिति में मुख्य मार्गदर्शक के रुप में आयोजित किया गया।

हेमा देशपांडे, जिन्होंने मार्गदर्शक के रुप में कार्य किया, ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर विस्तृत जानकारी दी तथा उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? साथ ही अध्यक्षीय भाषण में वी.पी. पाटकर ने योजना बनाई है कि प्रदूषण को कैसे रोका जाए? साथ ही उन्होंने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व को भी समझाया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण में प्रदूषण को रोका जा सके।

उक्त कार्यक्रम में गोंदिया कोर्ट के सभी न्यायिक अधिकारी साथ ही बार एसोसिएशन गोंदिया के अध्यक्ष बड़े, अदालत के सभी वकील और सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। संचालन एड.अलका बोकडे गोंदिया ने किया तथा धन्यवाद एड.वैशाली ऊके ने माना। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला विधि सेवा प्राधिकरण, गोंदिया कार्यालय स्टाफ आर.जे. ठाकरे, अधीक्षक, स्पेक्टेटर गजभिये, सचिन कठाने, सुशील गेडाम, बबलू पारधी और यु.पी. सहारे स्टाफ ने योगदान दिया।

शासकीय गौण खनिज खानों की ई-नीलामी

बुलंद गोंदिया - महाराष्ट्र लघु खनिज खनन अधिनियम 2013 एवं 23 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार जिले में लघु खनिज के क्वार्टजाइट खनन ई-निविदा / ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हैं। इसके लिए माध्यमिक खनिज उत्खनन कार्य करने के इच्छुक संगठनों या व्यक्तियों को सरकारी भूमि पर खनन अनुमोदन की ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gondiamining.abcprocure.com व www.gondia.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन पंजीकरण 1 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शुरु होगा तथा 5 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। ई-निविदाओं को ऑनलाइन जमा करना 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शुरु होगा। ऑनलाइन मोड के माध्यम से ई-निविदाओं की स्वीकृति 12 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। साथ ही 17 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में ई-निविदा डाउनलोड कर खोली जाएगी। माइनिंग लीज ऑक्शन के नियम व शर्तें, माइनिंग लीज लिस्ट और अन्य जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।

2 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजे समाहरणालय गोंदिया में ई-निविदा एवं ई-नीलामी के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अपर कलेक्टर राजेश खावले ने परिपत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि इच्छुक ठेकेदार प्रशिक्षण में शामिल हों।

युवा सेना शिंदे गट द्वारा भारतीय डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिविर आयोजित

पहले दिन 100 से अधिक नागरिकों ने लिया लाभ

बुलंद गोंदिया - शिवसेना की युवा शाखा शिंदे गट द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में किरण सालवी युवा सेना सचिव महाराष्ट्र राज्य व किरण पांडव के मार्गदर्शन में 1 से 4 अगस्त तक भारतीय डाक विभाग की विभिन्न लाभदाई योजनाओं का शिविर का आयोजन किया है। जिसमें 1 अगस्त को मनोहर चौक में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पहले ही दिन नागरिकों द्वारा उत्तम प्रतिशाद देते हुए 100 से अधिक नागरिकों द्वारा डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। जिसमें मुख्य रुप से 399 में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आधार कार्ड अपडेट, सुकन्या योजना का समावेश है। 2 तारीख को इंगले चौक सिविल लाइन में, 3 अगस्त को डॉ बाबासाहब आंबेडकर चौक गोविंदपुर रोड तथा 4 अगस्त को यशोदा सभागृह के समीप पूर्व सभापति सुनील तिवारी के जनसंपर्क कार्यालय शास्त्री वार्ड में आयोजित किया गया है। उपरोक्त शिविर का आयोजन युवा सेना के कार्यकर्ता कृषभ विनोद मिश्रा, आशु मक्कड़, अमनदीप भाटिया, प्रीतम लिल्हारे, राजू गिल, प्रमोद रामटेककर व सहयोगियों द्वारा किया गया। तथा आव्हान किया गया कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों द्वारा अधिक से अधिक लिया जाए।

रिश्वतखोरों पर एंटी करप्शन विभाग की गिरी गाज

पटवारी व आपूर्ति निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले में रिश्वतखोरो पर एंटी करप्शन विभाग की दो बड़ी कार्यवाही शुक्रवार 29 जुलाई को हुई। जिसमें गोंदिया तहसील के राशन विभाग के आपूर्ति निरीक्षक पंकज तात्याराव शिंदे 4000 व नंगपुरा मुर्री के पटवारी बालाराम बनोटे को 7000 रु. की रिश्वत लेते हुए गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गौरतलब है कि शुक्रवार 29 जुलाई का दिन गोंदिया जिले में रिश्वतखोरों के लिए काला दिन बनकर सामने आया। एक ही दिन में गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दो अलग-अलग कार्रवाई कर दो रिश्वतखोरो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पहला मामला गोंदिया तहसील की नई प्रशासकीय इमारत में स्थित गोंदिया तहसील के राशन विभाग में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक पंकज शिंदे द्वारा फरियादी किसान जिसके पिता के नाम पर लहींटोला, पाडंराबोडी में सरकारी राशन दुकान है, किंतु वे वृद्ध होने के साथ ही अस्वस्थ होने के चलते शिकायतकर्ता द्वारा पिता के नाम से सरकारी राशन दुकान को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपूर्ति विभाग तहसील कार्यालय गोंदिया में आवेदन किया था। जिसके पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा तहसील कार्यालय में जाकर राशन विभाग के आपूर्ति निरीक्षक पंकज शिंदे से भेंट कर दिए गए आवेदन पर कार्यवाही करने की मांग की थी। जिस पर आरोपी द्वारा उपरोक्त दुकान का ट्रांसफर करने के लिए फरियादी से 5000 की रिश्वत की मांग की। इस संदर्भ में फरियादी द्वारा गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई गयी। जिसके पश्चात तहसील कार्यालय में जाल बिछाते हुए गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 4000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी आपूर्ति निरीक्षक पंकज शिंदे को रंगेहाथों धरदबोचा गया।

वही दूसरा मामलें में गोंदिया शहर से लगे ग्राम मुर्री के पटवारी बालाराम बनोटे द्वारा गोंदिया निवासी फरियादी से उसकी भूमि का फेरफार करने के लिए 7000 की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में भी फरियादी द्वारा गोंदिया एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर शुक्रवार की शाम सब्जी मंडी परिसर में एसीबी विभाग द्वारा जाल बिछाकर आरोपी पटवारी बनोटे को 7000 की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों धरदबोचा। समाचार लिखे जाने तक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरु थी। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून 1988 कलम 7 के तहत गोंदिया शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

उपरोक्त दोनों कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एसीबी राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक मधुकर गीते नागपुर के मार्गदर्शन में गोंदिया के एसीबी के उपविभागीय पोलीस अधिकारी पुरुषोत्तम अहेरकर, पोहवा मिलकीराम पटले, विजय खोबरागड़े, संजय बोहरे, नापोसी संतोष शेंडे, मंगेश कहालकर, संतोष बोपचे व वाहन चालक दीपक बाटबरवे तथा सभी एंटी करप्शन विभाग गोंदिया के कर्मचारियों द्वारा की गई।

हर घर झंडा चित्ररथ को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी

हर घर तिरंगा जन जागरुकता, जिला प्रशासन और जिला परिषद का उपक्रम, वीडियो के माध्यम से नागरिकों को जानकारी

बुलंद गोंदिया - स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर, हर घर झंडा अभियान के तहत, नागरिक 13 से 15 अगस्त तक तीन दिवसीय अवधि के दौरान अपने घरों में झंडा फहराएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए फ्लैग कोड में जानकारी दी गई है कि अपने घर पर तिरंगा कैसे लगाएं। ध्वज संहिता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरुक करने के लिए जिला प्रशासन और जिला परिषद गोंदिया की ओर से जन जागरुकता चित्ररथ तैयार किया गया है। इस चित्ररथ को जिलाधिकारी नयना गुंडे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीतल, जिप सभापति संजय टेंभरे, जिप सभापति पूजा सेठ, निवासी उप जिलाधिकारी जयराम देशपांडे, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पंचायत) खामकर, कार्यपालक अभियंता सुमित बेलपत्रे,

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितिन वानखेड़े, जिला सूचना अधिकारी रवि गीते के साथ जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के राजेश उखलकर, अतुल गजभिये, विशाल मेश्राम, तृप्ति साकुरे, शोभा फटिंग और मीडिया सॉल्यूशंस के उमेश महतो उपस्थित थे। .

तिरंगे झंडे की जानकारी देते हुए यह चित्ररथ गांव-गांव जाकर नागरिकों को जानकारी देगा और नागरिकों को अपने घरों पर झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। घर पर तिरंगा कैसे लगाएं? क्या नियम हैं? ध्वज संहिता का पालन कैसे करें? इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, जिला कलेक्टर नैना गुंडे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल के संदेशों वाले वीडियो फिल्म भी इस पर प्रसारित किए जाएंगे। जिले के हर गांव में कुल चार चित्ररथ जागरुकता फैलाने जा रहे हैं।

यह पहली बार है जब प्रत्येक नागरिक को भारतीय स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर अपने घर पर तिरंगा फहराने का अवसर मिला है। घरेलु तिरंगे की अवधारणा के पीछे राष्ट्रवाद की व्यापक भावना है। देश के प्रति कृतज्ञता है। इसी कृतज्ञता को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपील की कि 13 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराएं। साथ ही इस चित्ररथ के माध्यम से नागरिकों को जल जीवन मिशन के हर घर जल उत्सव अभियान की जानकारी भी दी जाएगी। जानिए पानी का महत्व, पानी का संयम से करें इस्तेमाल, पानी बचाएं, इसके जरिए संदेश दिया जाएगा।

राजस्व विभाग यह प्रशासन की रीढ़ - अनिल पाटिल

बुलंद गोंदिया - राजस्व विभाग प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी एक लोक सेवक है। प्रशासनिक कार्यों में प्रामाणिकता और पारदर्शिता बनाए रखने की रीढ़ है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल पाटिल ने एक अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को समझना और लंबित मामलों का निस्तारण करना हमारा कर्तव्य है। राजस्व दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी राजेश खावले, निवासी उपजिलाधिकारी जयराम देशपांडे, उपजिलाधिकारी सुभाष चौधरी, स्मिता बेलपत्रे सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। अनिल पाटिल ने कहा कि हाई-टेक के दौर में राजस्व प्रशासन में काम करते हुए कई चुनौतियां हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। समय की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों में परिवर्तन करना भी आवश्यक है। आधुनिक युग में ई-गवर्नेस के कारण आधुनिक तकनीक का उपयोग करनेवाले प्रत्येक कार्य में जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

राजस्व प्रशासन में कार्य करते हुए लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं को समझना और सकारात्मक व्यवहार देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन और नागरिक समाज के दो तत्व हैं और इन दोनों तत्वों के बीच समन्वय बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।

अपर जिलाधिकारी राजेश खवले ने राजस्व विभाग के निर्माण का इतिहास और इस विभाग की अब तक की प्रगति को बहुत ही सरल भाषा में बताया। उन्होंने उदाहरणों के साथ स्पष्ट रुप से कहा कि सभी सरकारी विभागों की जड़ राजस्व विभाग है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग वह विभाग है जो डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के सपने में लोकतंत्र की अवधारणा को साकार करता है। श्रीमती लीना फाल्के, प्रा.उप निदेशक जिला सांख्यिकी कार्यालय रुपेशकुमार राऊत ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया।

संजय धार्मिक अधीक्षक स्थापना, उप कोषाधिकारी लखीचंद बाविस्कर, मंदार जोशी लेखा अधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी धनंजय देशमुख, अप्पासाहेब वंकडे नायब तहसीलदार, सहायक योजना अधिकारी पूजा पाटिल, सीमा वानखेड़े सहायक लेखा अधिकारी, जिला नजर राकेश डोंगरे, आकाश चव्हाण, दीपक परिहार, किशोर राठौर, संतोष शेंडे, नीलकंठ कावले, मारुति केंद्र मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे ने किया। इस अवसर पर राजस्व विभाग में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

सांसद पटेल के प्रयासों से रुके विकास कार्यो के लिए

पुन: २.३७ करोड़ की निधि मंजूर

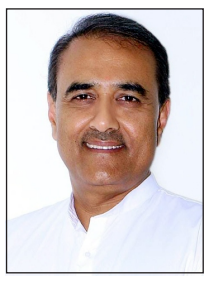

बुलंद गोंदिया - जिले के विविध विकास कार्यो के लिए सदैव तत्पर सांसद प्रफुल पटेल के प्रयास से जिले की सभी तहसीलों में पुन: 2 करोड़ 37 लाख के विकास कार्य मंजूर हुए है। ये कार्य उनकी स्थानिक विकास निधि से किये जायेंगे। सांसद प्रफुल पटेल की स्थानिक विकास निधि से इसके पूर्व 2 करोड़ 62 लाख रुपये के विविध कार्य मंजूर हुए थे। अब पुन: 2 करोड़ 37 लाख रुपये के कार्यो को मंजूरी प्राप्त हुई है। पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन ने कहा, महाविकास आघाडी सरकार के दौरान सांसद प्रफुल पटेल के प्रयासों से दोनों जिले में अनेक विकास कामों को गति दी गई एवं महत्वाकांक्षी कार्यो की शुरुआत की गई। वर्तमान में भी सांसद पटेल का विकास कार्य थमा नहीं है। वे हरसंभव कटिबद्धता से जिले के विकास के लिए प्रयासरत होकर निधि की कमतरता होने नही देंगे।

गोंदिया रेलवे स्टेशन से गुड्स शेड का किया जाएगा स्थानांतरण

दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन

बुलंद गोंदिया - द.पू.म.रेलवे नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन से गुड्स शेड को स्थानांतरण कर ड्रॉप एंड गो तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्लेटफार्म क्रमांक 8 का निर्माण किया जाएगा। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन भी गोंदिया से होगी शुरु।

मुंबई-हावडा के बीच गोंदिया एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज ट्रेनों का परिचालन शुरु हो चुका है। भविष्य में ट्रेनों की संख्या गोंदिया जंक्शन स्टेशन से निश्चित रुप से बढ़ेगी। इस वजह से अतिरिक्त प्लेटफॉर्म एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसी को ख्याल में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर रेल मंडल परामर्शदात्री (DRUCC) सलाहकार समिति सदस्य इंजी.जसपाल सिंह चावला ने भारत सरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद सुनील मेंढे, सांसद

अशोक नेते, पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड दिल्ली, द.पू.म रेलवे महाप्रबंधक, नागपुर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक को नॉर्थ दिशा में स्थित गुड्स शेड को स्थानांतरण कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ड्रॉप एंड गो तर्ज पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 का निर्माण करने का सुझाव कई बार भेजा था। साथ ही कुछ नई ट्रेनों का परिचालन गोंदिया से शुरु करने एवं कुछ ट्रेनों का विस्तार गोंदिया तक करने समेत अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे हैं।

गोंदिया में 55 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग डिपो का निर्माण किया जाएगा। जिसमें ट्रेन की सफाई एवं अन्य मरम्मत कार्य किए जाएंगे। कोचिंग डिपो निर्माण के लिए बजट को स्वीकृत मिल गई है। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने सर्वे कर डिपो के लिए जगह भी चुन ली है। कोचिंग डिपो गोंदिया में वाशिंग पिट लाइन की संख्या दो है। इसमें कोचों की साफ-सफाई, मेंटेनेंस तथा परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। पिट लाइन में कोचों को ऑटोमेटिक मशीन से धुलाई के लिए स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट की व्यवस्था की गई है। स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट अगले कुछ महीने में लगने की संभावना है। गोंदिया रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चावला ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद सुनील मेंढे, सांसद अशोक नेते, पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड दिल्ली, द.पू.म रेलवे महाप्रबंधक, नागपुर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक का हृदय से आभार व्यक्त किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन को वंदेभारत ट्रेन के दो रैक मिलेंगे। जिसमें से एक रैक नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत स्थित गोंदिया को मिलेगी और इसे स्वीकृति दी जा चुकी है।

नेशनल क्वालीफाई सुजल अग्रवाल का सत्कार

बुलंद गोंदिया - महाराष्ट्र राज्य एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में नेशनल के लिए क्वालीफाई करने वाले गोंदिया के सुजल आदित्य अग्रवाल का सत्कार गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर निवासी उप जिला अधिकारी जयराम देशपांडे, अपर तहसीलदार अनिल खड़तकर, नेशनल कोच शशांक चौहान के हस्ते पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। साथ ही उपस्थित नीलेश शेंडे व सुजल के पिता एवं परिवार का भी सत्कार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन गोंदिया द्वारा जिले में शूटिंग के खेल को प्रोत्साहन देने व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपरोक्त सत्कार कार्यक्रम होटल पेसिफिक में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर शशांक चौहान ने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के माध्यम से शूटिंग के खेल में खिलाड़ी को होने वाली समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराया व उसका जल्द से जल्द निदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया।

कार्यक्रम में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के सचिव अविनाश बजाज द्वारा यह जानकारी दी गई कि प्रत्येक अभिभावक व संस्थाएं चाहती कि उनके बच्चे पढ़ाई के अलावा खेल के जगत में भी नया कुछ कर गुजरे। लेकिन जिले में संसाधनों की कमी के चलते यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। शूटिंग के खेल के लिए एयर राइफल हो पिस्टल हो या फायर वेपन प्रैक्टिस के लिए नागपुर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। खिलाड़ियों की इन परेशानियों को देखते हुए गोंदिया की जिलाधिकारी नैयना गुंडे के प्रयासों से गोंदिया के क्रीड़ा संकुल में शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न खेल संगठनों के खिलाड़ी पदाधिकारी व प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जिले में २९ जुलाई से १२ अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू

बुलंद गोंदिया - विभिन्न दल व संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल, धरना, मार्च, विरोध प्रदर्शन, जेल ब्रेक व हड़ताल आदि का आयोजन किया जाता हैं। साथ ही 31 जुलाई को हरियाली तिज, 2 अगस्त को नागपंचमी, 10 व 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। अत: 29 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जयराम देशपांडे द्वारा मुंबई पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1)(3) का निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उक्त अधिसूचना की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपराधिक नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय नगर परिषद गोंदिया

जाहिर सूचना

नगर परिषद गोंदिया हद्दीतील सर्व नागरीकांना सूचित करण्यात येत आहे कि, दिनांक 13 ते 15 ऑगष्ट या दरम्यान "घरोघरी तिरंगा" अर्थात "हर घर तिरंगा" या अभियानात: शहरातील सर्व नागरिकांनी सामील व्हावे आणि आपल्या घरावर तिरंगा फडकवावा. आपल्या राष्ट्रध्वजाची मागणी आपण नगर परिषद कार्यालयातील शहर उपजीविका केन्द्र (CLC) जन्म मृत्यु विभाग तसेच न.प. क्षेत्रातील शाळेत नोंदवू शकता. न.प. शाळाची यादी खालील प्रमाणे आहे.

क्र.	वस्ती स्तर संस्था/विक्री केन्द्र	पत्ता	संपर्क प्रमुख
1.	जीविका शहर उपजीविका केन्द्र	टाऊन स्कूल, न.प.गोंदिया	ज्योत्सना बोम्बार्डे रमा मिश्रा
2.	सावली नागरी बेघरांसाठी निवारा केन्द्र	न.प.मराठी प्रा.शाळा, जुना आर.टी.ओ.कार्यालय जवळ	पूर्णप्रकाश कुथेकर
3.	अशोका वस्ती स्तर संस्था	मालविय वार्ड, मालविय शाळेच्या मागे	सुनीता धपाडे
4.	दर्पण वस्ती स्तर संस्था	रेलवे चौकी जवळ, मरारटोली, गोंदिया	गीता मिसार
5.	एकता वस्ती स्तर संस्था	आंबेडकर चौक, गोविंदपूर	योगेश्वरी रहांगडाले
6.	जयती वस्ती स्तर संस्था	गणेशनगर, गोंदिया	शितल मेन्ढे
7.	जयहिंद वस्ती स्तर संस्था	सुंदरनगर, आंबेडकर वार्ड	वंदना श्यामकुंवर
8.	किशोरी वस्ती स्तर संस्था	ओल्ड गोंदिया, गांधी वार्ड	ज्योत्सना रेडीवार
9.	महात्मा फुले वस्ती स्तर संस्था	वृद्ध मूर्ति जवळ, छोटा गोंदिया	किरण फुले
10.	मानिनी वस्ती स्तर संस्था	संजयनगर, जोगलेकर वार्ड	शोभा बन्सोड
11.	मातोश्री वस्ती स्तर संस्था	लेटे हनुमान रोड, गौतमनगर	संगीता नागभिरे
12.	सावित्री फुले वस्ती स्तर संस्था	चावड़ी चौक, छोटा गोंदिया	माधुरी मदनकर
13.	श्रावक वस्ती स्तर संस्था	कुंभारेनगर, गोंदिया	नूतन बोम्बार्डे
14.	उज्वल वस्ती स्तर संस्था	शिवाजी चौक, सूर्याटोला	कौशिका रहांगडाले
15.	ऊर्जा वस्ती स्तर संस्था	निरंकारी भवन जवळ, श्रीनगर	अनिता मेश्राम
16.	वंदे मातरम वस्ती स्तर संस्था	शितला माता मंदिर जवळ, गौतमनगर	द्रेविदा जांभुळकर
17.	विजय वस्ती स्तर संस्था	विमलताई शाळे समोर, विजयनगर	कल्पना रावते
18.	राणी लक्ष्मीबाई वस्ती स्तर संस्था	राम मंदिर जवळ, गोविंदपुर वार्ड	पौर्णिमा बन्सोड
19	धम्मज्योती महिला बचत गट	श्रीनगर, गोंदिया	सायली वाघमारे

राष्ट्रध्वजाचा मान व सन्मान राखून आपल्या घरावर तिरंगा ध्वज फडकवू या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात सामील होऊया.

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक
नगर परिषद, गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।